अति महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्याः-मु०सं०08/ एक–10–2019–12(34) / 03टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ::दिनॉकः 05 नवम्बर, 2019

विषयः– वर्ष 2019–20 में ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल वितरण एवं अलाव जलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में शीत ऋतु का आरम्भ संन्निकट है। अतः ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायः–

(1) गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को शीत ऋतु के दौरान वितरित किये जाने वाले कम्बलों के क्रय की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाय।

(2) प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को चिन्हांकन करते हुए निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन,वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

(3) आश्रयहीन व्यक्तियों हेतु रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, कोई भी व्यक्ति रात में सड़क अथवा फुटपाथ पर सोने के लिए बाध्य न हों। इन रैन बसेरों, शेल्टर होम में रूकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को ठण्ड से बचाने के लिए आवश्यक समस्त निःशुल्क उपाय जैसे–गद्दे, कम्बल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं किचन आदि का प्रबंध किया जाये तथा इन रैन बसेरों के आस–पास अलाव जलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। समस्त शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम, मोबाइल नम्बर अवश्य दर्शाया जाय तथा रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण अवश्य किया जाय।

(4) शीतलहरी एवं ठण्ड से बचाव कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी इससे संबंधित सूचनायें प्रसारित करायी

जाय ताकि शासन द्वारा जन–सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी हो सके।

(5) शीत लहर आने पर इसके बचाव हेतु रैनबसेरों के आस–पास एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समय से अलाव जलाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(6) शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यो के कियान्वयन संबंधी सूचना/विवरण (कम्बल का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत आयुक्त कार्यालय के ई मेल पर प्रत्येक दिन सायं 3.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–मु(रा0)(1)/एक–10–2019–12(34)/03 टीसी–2, तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
2– सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।